





## छात्रवृत्ति के आवेदन दो दिवस में निराकृत करें - कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी प्राचीय, डॉन तथा छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारियों को छात्रवृत्ति के आवेदन दो दिवस में निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि 28 अप्रैल को आयोजित होने वाली सामाधान औनलाइन के एजेंडा बिन्दुओं में छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा शामिल है। इसमें आदिवासी कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से आयोजित वितरण की समीक्षा की जाएगी। आवास सहायता तथा छात्रवृत्ति का प्रकरण लैबिट रहने पर उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

## कृषक जनप्रतिनिधियों की फार्मर आईडी अनिवार्य रूप से बनाएं

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले भर में सभी तहसीलों में फार्मर आईडी बनाने के लिए शिक्षित लगाए जा रहे हैं। इन शिक्षितों के माध्यम से डिजिटल एपीकल्टर क्रांप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्रेशन का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने तहसीलदारों को कृषक जनप्रतिनिधियों की फार्मर आईडी अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि कृषी भूमियां भूमीयां, सांसद, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्याणों तथा जननप्र पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्याणों की फार्मर आईडी अनिवार्य रूप से बनाए। ग्राम पंचायत नरपति नियंत्रण बोर्ड ने वायु अधिनियम 1981 के तहत 21 जून 2019 को मध्य प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का एकान्म प्लान बनाने के निर्देश दिए थे ऐसे इसके बावजूद धार्मिक स्थलों पर नियंत्रित डेसिकल सीमाओं का उल्लंघन किया जाना रहा है।

## श्रम विभाग ने हिमांशु शेखर को दिलाई 196269 रुपए ग्रेच्युटी की राशि

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। श्रम विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अधिकारियों की लाइट मशीन आई और खिलू शाखा में कार्यरत श्री हिमांशु शेखर का पाण्डेय 196269 रुपए की ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किया गया। इस संबंध में जिला श्रम पदाधिकारी प्रिया अग्रवाल ने बताया कि श्री पाण्डेय ने उत्तरान भुगतान अधिनियम 1972 के तहत श्रम पदाधिकारियों के निलायन प्रदूषण की राशि को भुगतान के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदक को ग्रेच्युटी की 196269 रुपए की राशि भुगतान के लिए 15 मार्च 2021 को आदेश पारित किया था। इस आदेश के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत उप श्रमायुक्त भोपाल को अधिकारी को गई है। अपीली प्राधिकारी द्वारा सुनवाई के पश्चात अपील को अमाव्य कर दिया गया। इसके बाद 16 मार्च 2025 को श्री हिमांशु शेखर पाण्डेय निवासी गुड़ जिला रीवा को 196269 रुपए की ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किया गया।

## मऊगंज में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, डॉक्टर घायल



मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। मऊगंज कस्बे के वार्ड क्रमांक 11 घोरहटा में एक तेज रस्तार पिकअप वाहन को बाइक सवार डॉक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में डॉक्टर संघोष कुपर मिश्रा गांधीरूप से घायल हो गए। घटना मौलिक द्वारा पर 1 बजे की है। दरअसल, डॉक्टर संघोष कुपर मिश्रा कॉलेज से अपने घर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचे ही तेज रस्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घ्यानीय लोगों ने तुरत मदर की ओर घायल डॉक्टर को मऊगंज के गुरु विशेष हाईटेल पल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनके पैर में रोंग डालने की अवासीनी की। डॉक्टर को गांधीरूप में शरीर किया गया है। डॉक्टर के मुताबिक उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है।

# विचार

## 10000 प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मे नागरिकों के मौलिक अधिकार

भारत में 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया है। संविधान ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तर्ज पर भारतीय संविधान की रचना की है। संविधान ने सभी की जिम्मेदारी तय की है। संविधान द्वारा न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका को अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सुनिश्चित किए गए हैं। संविधान निर्माताओं में से एक स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, ने 10 अक्टूबर 1949 को सिविल सेवा के अधिकारियों की भूमिका पर मार्गदर्शन देते हुए कहा था। मेरी सलाह है, आप परी स्वतंत्रता के साथ कार्य करें। यदि आप मुखिया हैं, तो अपने अधीनस्थ को स्वतंत्रता से बोलने का अवसर दें। अधिकारियों को बिना किसी डर या पक्षपात के अपने विचार रखने की आजादी है। यदि विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी, ऐसी स्थिति में भारत का नवनिर्माण नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा सचिव यदि मेरे किसी विचार से सहमत नहीं है, तो भी वह अपने विचार पूरी स्वतंत्रता के साथ लिख सकता है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी किसी डर और भय के कारण स्पष्ट राय नहीं देते हैं। उसे लगता है, कि मंत्री या विष्णु अधिकारी नाराज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक सेवा में रहने का कोई कारण नहीं है। पटेल ने प्रथम संबोधन में सांसदों से अपेक्षा की थी। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का सम्मान और उनके अच्छे कार्यों का समर्थन करें। यदि वह लापरवाही और गलत काम करते हैं। ऐसी स्थिति में शासन का ध्यान आकर्षित करें। अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें। सरदार पटेल कठोर प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात उन्होंने रियासतों को भारत में विलय करने के लिए जो कार्य किया था। उसकी प्रशंसा आज भी सारी दुनिया में होती है। उन्होंने भारतीय सेवा के अधिकारियों को सजाह देते हुए कहा था। प्रशासन को पूरी तरह से निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। सिविल सेवा के अधिकारी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। भारतीय सेवा के अधिकारियों से उम्मीद की जाती है। वह बिना किसी डर या पक्षपात के बाहरी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करें। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं की पीढ़ी में भारतीय सेवा के अधिकारी बहतर ढंग से संविधान के अनुसूच अपना कार्य कर रहे थे। भारत में जब से गठबंधन की सरकारें आना शारू हुई हैं। उसके बाद भारतीय सेवा के अधिकारियों में भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वह सत्ता के दबाव और प्रलोभन के चलते अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। यही नहीं कह पा रहे हैं। जिसके कारण भारत की कार्यपालिका में डर, भय, पक्षपात और भ्रष्टाचार अब सभी और देखने स्थिति विधायिका की हो गई है। जो अपने आप को संविधान से भी सर्वोपरि मानने लगा है।

# राजनीति में एक सप्ताह काफी लघा समय माना जाता है

वर्ष के अंत में होने वाले बिहार चुनाव काफी अप्रत्याशित हैं। फिलहाल, भाजपा, राजद या जद (यू) के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। राजनीतिक दल चुनावों का सामना करने के लिए कमर कस रहे हैं। बिहार की राजनीति में चुपचाप मंथन चल रहा है। सा गतिशीलता में संभावित बदलाव हो सकता है। पिछले 2 दशकों से जद (यू) के बाद दूसरे स्थान पर रही भाजपा अब प्रमुख भूमिका पर नजर गड़ाए हुए है। राजद सरकार बनाना चाहती है। 2 महत्वपूर्ण शक्ति समूह लड़ाई में हैं। एक तरफ एन.डी.ए. और दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं। पार्टी के अंदर और बाहर की गतिविधियां जोरों पर हैं। एन.डी.ए. और महागठबंधन एक उच्च-दाव राजनीतिक टकराव के लिए सोची-समझी चालें चल रहे हैं। उन राज्यों में लगातार जीत से उत्साहित, जहां संभावनाएं उसके खिलाफ थीं, दिल्ली जीतने के बाद अब भाजपा ने बिहार पर नजरें गड़ा दी हैं।



बिहार की जातिगत राजनीति दिलचस्प है। पिछले वर्षों की जनसंख्या 63.13 प्रतिशत है तथा उच्च जाति की जनसंख्या 15.52 प्रतिशत है। अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग श्रेणी का 27.12 प्रतिशत है। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 36 प्रतिशत है। दलितों की संख्या 14.26 प्रतिशत है। नीतीश कुमार वर्ग की कुर्मी जाति, जिसे ओ.बी.सी. के रूप में भी वर्णित किया गया है, जनसंख्या का 2.87 प्रतिशत है। पिछले विधानसभा चुनावों में, लगभग 15 प्रतिशत आबादी वाली उच्च जातियों ने कई पार्टियों में टिकट वितरण पर अपना दबदबा कायम रखा। भाजपा ने 47.3 प्रतिशत टिकट ऊंची जाति के उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन को 243 सदस्यों विधानसभा में साधारण बहुमत नहीं मिला, वर्ष से 12 सीटों से चूक गया। राजद सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 2025 के चुनावों के लिए जद (यू) ने नीतीश कुमार को उमोदवारों को दिए, जबकि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर ऊंची जातियों को दी। 2020 के बिहार विधानसभा







